भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 654

26 जून, 2019 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क उत्पादन

654. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हमारे देश में लौह अयस्क के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने भंडार हैं;

(ख) क्या हमारे देश को लौह अयस्क की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है जो गंभीर संकट/लौह अयस्क उत्पादन की कमी उत्पन्न करता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत खानों के समाप्त हो रहे लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे माल विशेषकर लौह की पर्याप्त उपलब्ध्ता को बनाए रखने हेतु खनन पट्टे देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की खनन क्रियाकलापों को विनियमित करने और अवैध खनन को पनपने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक खनन विनियामक तैनात करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो केंद्र और राज्य स्तर पर विनियामक की संरचना क्या है और इसे कब तक तैनात किया जाएगा?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 को देश में उपलब्ध लौह अयस्क के भंडारों की प्रमात्रा का राज्य-वार/श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ख) : भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन और घरेलू खपत निम्नानुसार है :

(इकाई मिलियन टन में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्पादन	129.32	155.91	192.08	200.9	206.4
खपत	114.68	122.62	137	154.59	उपलब्ध नहीं

उपर्युक्त तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मांग/खपत को पूरा करने के लिए देश में लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है।

(ग) एवं (घ) : सरकार ने विभिन्न सेक्टरों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को कायम रखने के लिए खनन पट्टों के अनुदान को सरल एवं कारगर बनाने हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 को अधिसूचित किया है। संशोधित अधिनियम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार है:

(i) सभी खनिज रियायतें केवल नीलामी के माध्यम से ही दी जाएंगी;
(ii) 50 वर्षों की एकसमान पट्टा अवधि; कोई नवीकरण नहीं; पट्टा अवधि के अंत में नीलामी;
(iii) उद्योगों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 8क(5) और 8क(6) में नॉन-कैप्टिव खानों के लिए वर्ष 2020 तक और कैप्टिव खानों के लिए वर्ष 2030 तक मानित विस्तार का प्रावधान है।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8क(5) के तहत 2020 में समाप्त हो रहे पट्टों की समय से नीलामी करके कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, केंद्र सरकार ने दिनांक 27.03.2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 289(अ) के माध्यम से खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 को संशोधित करके पट्टा धारकों को 1 अप्रैल, 2019 तक समस्त खनिजीकृत क्षेत्र में जी2 स्तर का गवेषण पूरा करना अनिवार्य कर दिया है।

राज्य सरकारों को मौजूदा अधिनियम/नियमों के तहत खनिज ब्लॉकों की नीलामी कराने के अधिकार प्राप्त हैं। आज तक, 583.057 मिलियन टन के भंडार वाले लौह अयस्क के 20 ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार लौह अयस्क के 24 ब्लॉकों (ओडिसा में 15, कर्नाटक में 8 और आंध्र प्रदेश में एक ब्लॉक) को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नीलामी हेतु रखे जाने के लिए तैयार कर रही है, जिससे देश में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ड.) : जी नहीं। खनन कार्यकलाप को विनियमित करने और अवैध खनन को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य स्तर, दोनों पर एक खनन विनियामक स्थापित करने का कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(च) : उपर्युक्त (ड.) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुबंध

दिनांक 01.4.2015 को देश में उपलब्ध लौह अयस्क के भंडारों की प्रमात्रा का राज्य-वार/श्रेणी-वार विवरण

(इकाई: '000 टन में)

राज्य		भंडार	शेष संसाधन	कुल
आंध्र प्रदेश	हेमाटाइट	29768	311294	341062
	मैग्नेटाइट	0	1392098	1392098
असम	हेमाटाइट	0	12600	12600
	मैग्नेटाइट	0	15380	15380
बिहार	हेमाटाइट	0	55	55
	मैग्नेटाइट	0	2659	2659
छत्तीसगढ़	हेमाटाइट	1387437	3470687	4858124
	मैग्नेटाइट	11183	42	11225
गोवा	हेमाटाइट	358239	831075	1189313
	मैग्नेटाइट	4990	261345	266336
झारखंड	हेमाटाइट	439372	4847045	5286417
	मैग्नेटाइट	0	10667	10667
कर्नाटक	हेमाटाइट	550247	1916607	2466854
	मैग्नेटाइट	446	7801744	7802190
केरल	मैग्नेटाइट	0	83435	83435
मध्य प्रदेश	हेमाटाइट	62063	267900	329963
महाराष्ट्र	हेमाटाइट	17241	276862	294103
	मैग्नेटाइट	583	302	885
मेघालय	हेमाटाइट	0	225	225
	मैग्नेटाइट	0	3380	3380
नागालैंड	मैग्नेटाइट	0	5280	5280
ओडिसा	हेमाटाइट	2572217	4986447	7558664
	मैग्नेटाइट	74	79	152
राजस्थान	हेमाटाइट	4658	33745	38404
	मैग्नेटाइट	35423	581493	616916
तमिलनाडु	मैग्नेटाइट	0	507037	507037
तेलांगाना	हेमाटाइट	509	52673	53181
	मैग्नेटाइट	0	71514	71514
उत्तर प्रदेश	हेमाटाइट	0	58000	58000
भारत	**हेमाटाइट**	**5421751**	**17065214**	**22486965**
	मैग्नेटाइट	**52699**	**10736455**	**10789155**

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो